न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
[illegible]	निवेदन पत्र पटवारी राजस्व कोष, अलवर के द्वारा कोटकासिम के द्वारा प्राप्त किया गया। प्रार्थी वकील [illegible] की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने पटवारी वृत्त के अनुसार कि दर्शाया गया के अतिरिक्त पटवारी वृत्त [illegible] जमाबन्दी वर्ष 2016-2019 के खाता संख्या 164 में प्रार्थी का नाम चन्नाराम पुत्र हुकमाराम व खाता सं. 434 में चन्ना पुत्र हुकमसिंह, खाता संख्या 469 में प्रार्थी का नाम चनीराम पुत्र हुकमचंद, खाता संख्या 433 में प्रार्थी का नाम चन्नाराम पुत्र हुकमचन्द अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम चनसिंह पुत्र हुकमचन्द है। इससे संबंधित समस्त दस्तावेज पटवारी ने संलग्न है। अतः प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जावे। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया पटवारी ने अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का नाम भिन्न-भिन्न दर्ज है लेकिन नाम एक जैसा है। जमीनमिक दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम चनसिंह दर्ज है। तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट सकारात्मक आयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए जमाबन्दी सम्वत् 2016-2019 के खाता संख्या 164, 434, 469 व 433 के दर्ज ख.नं. में प्रार्थी का नाम चनसिंह पुत्र हुकमचंद दर्ज किया जावे। पूर्व में अंकित इन्द्राज को हटा दिया जावे। तहसीलदार कोटकासिम को सहमत [illegible] पटवारी कैलाश कुमार होकर नामान्तरण [illegible] दर्ज हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)